

**खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश**  
**खरीफ विपणन वर्ष: 2021-22, फसल: गेहूँ**  
**किसान पंजीकरण**

<b>किसान पंजीयन आई0डी0 :</b>	<p>नाम मिस्मैच लंबित, भागीदारी लंबित, 100 कुं0 से अधिक मात्रा का सत्यापन लंबित, विक्रय हेतु लॉक (नोट:-1. यदि पंजीकरण प्रपत्र में अंकित किसान का नाम व खतौनी में अंकित नाम में अन्तर होता है तो एस0डी0एम0 लॉगिन पर नाम मिस्मैच का सत्यापन कराया जाता है।</p> <p>2. यदि खतौनी में एक से अधिक भागीदार होते हैं तो एस0डी0एम0 लॉगिन पर सत्यापन कराया जाता है।</p> <p>3. यदि चकबन्दी प्रक्रियान्तर्गत ग्राम में पंजीकरण होता है, तो उसका <b>SDM Login</b> पर सत्यापन कराया जाता है।</p> <p>4. यदि गेहूँ/धान की विक्रय की जाने वाली मात्रा 100 कुं0 से अधिक होती है तो एस0डी0एम0 लॉगिन पर सत्यापन कराया जाता है।</p> <p>5. बटाईदार की स्थिति में शत-प्रतिशत सत्यापन।</p>
------------------------------	---

**1. किसान का व्यक्तिगत विवरण**

किसान का प्रकार		किसान की श्रेणी	
किसान का नाम (हिन्दी)		किसान का नाम (अंग्रेजी)	
जेंडर		पिता/पति का नाम (हिन्दी)	
पिता/पति का नाम (अंग्रेजी)		आधार सीडिंग की स्थिति	
मोबाइल नम्बर		मोबाइल नम्बर-2	

**किसान के परिवार के सदस्य का विवरण (जो क्रय केन्द्र पर किसान के स्थान पर आधार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण कर विक्रय कर सकेंगे)**

2.

नाम (हिन्दी)		पिता/पति का नाम (हिन्दी)	
कृषक से सम्बन्ध (झाप डाउन में)	1. पिता	7. पति,	
	2. माता	8. पत्नी,	
	3. भाई	9. दामाद,	
	4. बहन	10. भतीजा	
	5. पुत्र		
	6. पुत्री		
आधार में अंकित नाम (अंग्रेजी)		जेंडर (पुरुष/महिला)	
आधार नम्बर:-			
आधार सीडिंग की स्थिति			
<b>पंजीकरण के समय ही आधार सीडिंग की जायेगी।</b>			

### 3. किसान के निवास का पता

जिला		क्षेत्र	
तहसील		परगना	
ग्राम		मकान सं०	

### 4. किसान के बैंक खाते का विवरण

खातेदार का नाम (हिन्दी)		खातेदार का नाम (अंग्रेजी)	
बैंक के जिले का नाम		बैंक का नाम	
बैंक शाखा का नाम		बैंक खाता संख्या	
बैंक IFSC संख्या		पी०एफ०एम०एस० द्वारा बैंक खाते की सत्यापन की स्थिति	

### 5. किसान की भूमि का विवरण

क्र० सं०	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	खाता न०	नाम, पिता/पति का नाम	गाटा सं०/खसरा सं०	कुल रकबा (हे०)	कुल रकबा में किसान की हिस्सेदारी (हे०)	हिस्सेदारी की भूमि में बोये गये गेहूँ का रकबा (हे०)	बेची जाने वाली गेहूँ की मात्रा (कु०)	बेची जाने वाली गेहूँ की सत्यापित मात्रा (कु०)	उपजिलाधिका री गेहूँ की मात्रा सत्यापन की स्थिति	खतौनी का नाम सत्यापन की स्थिति	अभ्युक्ति

#### 5.1 SDM द्वारा DSC से Lock किया जायेगा।

#### 5.2 12.5 एकड़ से अधिक जमीन होने पर ADM /जिला खरीद अधिकारी Login पर सत्यापन के लिए जायेगा।

#### 5.3 भूमि का प्रकार। (भूलेख पोर्टल से केवल उन्हीं भूमि को जोड़ने का विकल्प दिया जाए जो कृषि योग्य भूमि हो)

5.4 किसान के गेहूँ का विक्रय होने के तुरन्त बाद किसान के पंजीकृत मोबाइल पर एक एसएमएस जायेगा जिसमें खरीद का विवरण, मात्रा, धनराशि, किसान का नाम अंकित होगा तथा एसएमएस में यह भी लिखा होगा कि आपने यदि गेहूँ विक्रय नहीं किया है तो जनपद स्तरीय कन्ट्रोल रूम के नम्बर ..... पर सम्पर्क करें। (जनपद स्तरीय कन्ट्रोल रूम का नम्बर जिला खाद्य विपणन अधिकारी द्वारा अपने लॉगिन से फीड किया जायेगा)

5.5 कृषक द्वारा अपने गांव से सम्बद्ध कृषि केन्द्र पर ही तौल करायी जा सकेगी। मण्डी स्थित केन्द्र सम्बद्धीकरण से मुक्त रहेंगे।

### 6- टोकन की स्थिति का विवरण

टोकन की स्थिति	हाँ	नहीं
----------------	-----	------

### 7- किसान के कृय का विवरण

क्र०सं०	एजेन्सी	कृय केन्द्र	कृय की तिथि	मात्रा (कु० में)	दर	मूल्य
---------	---------	-------------	-------------	------------------	----	-------

**घोषणा:-** मैंने भली भांति देख परखकर अपना व्यक्तिगत, भूमि तथा बैंक सम्बन्धी विवरण अंकित किया है और उसकी प्रति अपने पास सुरक्षित रख ली है। यदि भविष्य में मेरे द्वारा अंकित कोई तथ्य या सूचना गलत पायी जाती है तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व मेरा होगा। विभाग द्वारा मेरें विरुद्ध जो भी कार्यवाही की जायेगी उस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

हस्ताक्षर  
किसान का हस्ताक्षर

**नोट:-** कृपया पंजीकरण प्रपत्र के साथ कम्प्यूटराइज्ड खतौनी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक गेहूँ विक्रय के समय खरीद केन्द्र पर अवश्य ले जाएँ। मेरे द्वारा आधार, बैंक पासबुक, खतौनी आदि में अंकित कृषक के नाम, फोटो व अन्य सूचनाओं आदि का मिलान कर लिया गया है। यदि भविष्य में गेहूँ कृय के उपरान्त कोई तथ्य या सूचना गलत पाई जाती है तो उसके लिए मैं उत्तरदायी हूंगा।

केन्द्र प्रभारी  
हस्ताक्षर

मेरे द्वारा दिनांक ..... को गेहूँ विक्रय की पावती-पत्र प्राप्त की गयी।

किसान का हस्ताक्षर

.....  
(कृय प्रभारी उपयोग हेतु)

#### पावत्री-पत्र

**नोट:-** केन्द्र प्रभारी द्वारा किसान से गेहूँ कृय के उपरान्त मैनुअली भर कर प्राप्त कराया जाये।

पंजीयन आई0डी0		किसान का नाम	
एजेंसी का नाम		कृय केन्द्र का नाम	
कृय की तिथि		कृय गेहूँ की मात्रा (कु0 में)	
टोकन की स्थिति		धनराशि	

केन्द्र प्रभारी का नाम  
हस्ताक्षर